मानीय उप मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग) द्वारा दिनांक–06.05.2024 को समीक्षात्मक बैठक में माँगी गयी पथ प्रमंडल, खगड़िया अन्तर्गत अलौली–हथवन–शहरबन्नी–फुलतौड़ा घाट तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन के संबंध में।

- पथ की कुल लंबाई 9.00 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7.00 मी0 है।
- इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1470(s), पटना, दिनांक–17.03.2022 द्वारा ₹ 2770.50904 लाख मात्र है।
- एकरारनामा की राशि ₹ 2158.77552 लाख मात्र है।
- उक्त कार्य हेतु दिनांक–11.05.2022 को कार्यादेश निर्गत किया गया है।
- एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 10.08.2023 निर्धारित है।
- प्राक्कलन के अनुसार उक्त पथ में निम्नलिखित कार्य कराया जाना प्रावधानित है :–

Sl. No.	Target	Achievement (Work Completed as per site)
01	E/W- 9.00 Km	E/W- 8.500 Km
02	GSB- 9.00 Km	GSB- 8.622 Km
03	WMM-6.450 Km	WMM-6.260 Km
04	DBM-6.450 Km	DBM-6.233 Km
05	BC-6.450 Km	BC-6.260 Km
06	P.Q.C.- 2.550 Km	P.Q.C.- 2.363 Km
07	CD WORK- 04 No.	All CD Work descoped vide CE, Simanchal Wing, Bihar, Patna vide Letter No.-223 date 28.03.2024

- इस प्रकार एकरारनामा में निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि–10.08.2023 तक पथ में लगभग 85% कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- कार्य बाधित रहने का कारण निम्नलिखित है :–
  - (i) कार्यादेश दिनांक–11.05.2022 को मिलने के उपरान्त कार्य प्रारंभ किया गया। परन्तु 1st, 3rd, 4th, 7th & 8th कि0मी0 में अतिक्रमित निजी जमीन, Permanent Structure, सड़क के दोनों तरफ सघन मार्केट का अतिक्रमित होना एवं ग्रामीणों द्वारा निजी जमीन बता कर कार्य बाधित किया गया, जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - (ii) हथवन गाँव में PQC Road का कार्य जमीन विवाद के कारण रूका हुआ है, जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - (iii) कार्य के दौरान 5th, 6th(P) कि0मी0 में जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंध भाग पर अक्टूबर 2023 तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहने के कारण तकनीकी कारणों से कार्य को रोक दिया गया, जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - (iv) ग्रामीणों द्वारा निजी जमीन का हवाला देते हुए कार्य को बाधित किया गया एवं कुछ चैनेज आज तक विवादित रहने के कारण कार्य प्रभावित है, जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - (v) कार्य के दौरान मुंगेर गंगा पुल से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का परिचालन अवरूद्ध रहने के कारण कार्य बाधित रहा, जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - (vi) रेल मार्ग से ढुलाई बन्द है, जिसके कारण सड़क मार्ग से ढुलाई होने के कारण कार्य की गति प्रभावित रही, जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - (vii) पुलिया में प्रावधानित डायवर्सन की लंबाई, चौड़ाई एवं मात्रा High Embankment होने के कारण स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्रा नहीं होने के कारण भी कार्य बाधित रहा। साथ ही साथ कोशी प्रक्षेत्र होने के कारण सड़क के दोनों तरफ भारी मात्रा में जल–जमाव बना रहता है। जिससे डायवर्सन का निर्माण करना संभव नहीं हो पाया। जिसके कारण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।

(viii) इस पथ के पथांश हथवन एवं मेघौना के बीच 800 मी0 लंबाई में बागमती नदी के बाँध पर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य करना था, जो कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया के स्वामित्व में है। उनके द्वारा कार्य को रोक दिया गया था एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की सलाह दी गयी थी। इसके फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक–917, दिनांक–15.10.2022, पत्रांक–932, दिनांक–21.10.2022, पत्रांक–423, दिनांक–05.06.2023, पत्रांक–506 दिनांक–12.07.2023, पत्रांक–599 दिनांक–11.08.2023 द्वारा कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की माँग की गयी, साथ ही कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के ज्ञापांक–599, दिनांक–11.08.2023 से मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर से इस संबंध में अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक–225, दिनांक–24.03.2023, पत्रांक–424, दिनांक–05.06.2023, ज्ञापांक–506, दिनांक–12.07.2023, ज्ञापांक–599, दिनांक–11.08.2023 से इसकी सूचना अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा को दी गई है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के ज्ञापांक–225, दिनांक–24.03.2023, ज्ञापांक–424, दिनांक–05.06.2023, ज्ञापांक–506, दिनांक–12.07.2023, ज्ञापांक–599, दिनांक–11.08.2023 एवं पत्रांक–654(अनु0), दिनांक–31.08.2023 से मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से इस संबंध में अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के ज्ञापांक–225, दिनांक–24.03.2023, ज्ञापांक–506, दिनांक– 12.07.2023 एवं ज्ञापांक–599, दिनांक–11.08.2023 से जिलाधिकारी, खगड़िया से अनुरोध किया गया एवं बैठक के समय भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिलाने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के ज्ञापांक–654(अनु0), दिनांक–31.08.2023 से अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से भी अनुरोध किया गया। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा के पत्रांक–327, दिनांक– 08.04.2023 द्वारा मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को लिखा गया। उपरोक्त पत्राचार के बावजूद भी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा एवं जिला प्रशासन, खगड़िया के सहयोग से बाद में बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया गया। वर्त्तमान में उक्त पथांश में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक–31.07.2024 तक समयवृद्धि स्वीकृति करने का अनुरोध की गई थी।
- जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रथम समयवृद्धि दिनांक–10.04.2024 तक प्रदान की गई है।
- वर्त्तमान में पथ कार्य पूर्ण है। सिर्फ हथवन गाँव में कुल 6 (छः) जगहों पर ग्रामीणों द्वारा कुल 55.8 मी0 के आधे भाग में PQC कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–778, दिनांक–01.11.2023, पत्रांक–181, दिनांक–10.04.2024 एवं पत्रांक–249, दिनांक–15.05.2024 द्वारा जिलाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया से प्रशासनिक सहयोग हेतु अनुरोध की गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि लोक सभा आम निर्वाचन 2024 कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त आवश्यक सहयोग प्रदान कर समस्या का निदान कर दिया जायेगा।
- वर्त्तमान अधीक्षण अभियंता दिनांक–02.04.2024 को पथ अंचल, सहरसा में योगदान किये हैं।
- योगदान के पश्चात् दिनांक–17.04.2024 को अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया एवं ग्रामीणों से कार्यपालक अभियंता के उपस्थिति में शेष बचे अंश को पूर्ण करने के लिए वार्त्ता की गयी, परन्तु ग्रामीणों द्वारा कार्य कराने हेतु सहमति नहीं दी जा रही है।
- वर्त्तमान अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा द्वारा अप्रैल माह में उक्त पथ का निरीक्षण किया गया है एवं ग्रामीणों से कार्यपालक अभियंता के उपस्थिति में शेष बचे अंश को पूर्ण करने के लिए वार्त्ता की गयी, परन्तु ग्रामीणों द्वारा कार्य कराने हेतु सहमति नहीं दी जा रही है। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। इस संबंध मे अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा का पत्रांक–386, दिनांक–15.05.2024 द्वारा जिलाधिकारी, खगड़िया को विषयांकित पथांश में शेष बचे कार्य को पूर्ण कराने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए दण्डाधिकारी के साथ पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया।

15/5/24

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, खगड़िया।

16/5

अधीक्षण अभियंता
पथ निर्माण विभाग,
पथ अंचल, सहरसा।